निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या C-491/बा0वि0परि0/योजना-01/2016-17, दिनांक : 01 जून, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप अवगत है कि निदेशालय पत्रांक सी-387/बा0वि0परि0/योजना-01/2016-17, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा अनुपूरक पोषाहार के वितरण के लिए प्रत्येक माह की 5, 15 एवं 25 तारीख नियत की गयी है और यह भी निर्देश है कि ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (V.H.N.D.) पर भी पोषाहार का वितरण किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक माह की नियत तिथि 05, 15 एवं 25 में से जिस तिथि के निकट ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जायेगा, तो वितरण उस नियत तिथि को न करके ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को किया जायेगा तथा अन्य 02 तिथियों में वितरण पूर्ववत् किया जायेगा।

निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि कई जनपदों में उपरोक्त तिथियों में वितरण हेतु पूरी तैयारी नहीं की गयी थी। यदि वितरण हेतु तिथि नियत है, तो जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वितरण की नियत तिथि से पूर्व उस केन्द्र पर पोषाहार अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। यह देखा गया है कि कतिपय परियोजना कार्यालय में तो पोषाहार उपलब्ध है, परन्तु केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति आपत्तिजनक है।

अतएव यह आवश्यक है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी वितरण हेतु नियत प्रत्येक तिथि से पूर्व आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि किसी जनपद में पोषाहार उपलब्ध नहीं है, तो निदेशालय में अपर परियोजना प्रबन्धक (ए0वाई0) से सम्पर्क कर उसका निराकरण कराये तथा प्रत्येक वितरण दिवस के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर केन्द्रवार प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविकाओं की निरीक्षण आख्या प्राप्त करे और उसका परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही करें। यदि किसी प्रकरण में निदेशालय स्तर से कार्यवाही वांछित हो, तो निदेशालय स्तर पर अवगत कराते हुए समाधान सुनिश्चित कराये। ये सभी निरीक्षण आख्यायें जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये। यदि निदेशालय स्तर से अथवा उच्च स्तर से निरीक्षण होता है, तो उन निरीक्षण आख्याओं को निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वितरण तिथियों का सम्यक् प्रचार-प्रसार किया जाये और सभी ग्राम प्रधानों व जन प्रतिनिधियों को भी इससे अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। साथ ही निर्धारित निम्न

प्रारूप पर जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वयं द्वारा किये गये केन्द्रवार निरीक्षण की सूचना वितरण तिथि के दूसरे दिन निदेशालय में योजना अनुभाग के ई–मेल **yojanaicds@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें :–

<u>प्रारूप–01</u>

जनपद का नाम :– वितरण तिथि :–

क्र0 सं0	जनपद में कार्यरत कार्मिकों की कुल संख्या	निरीक्षण किये गये केन्द्रों की कुल संख्या	निरीक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या			निरीक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें पोषाहार वितरित किया गया		
			06 माह से 03 वर्ष	गर्भवती /धात्री	सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाएं	06 माह से 03 वर्ष	गर्भवती /धात्री	सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी							
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी							
3	मुख्य सेविका							
	योग :–							

<u>प्रारूप–02</u>

जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम :–

जनपद का नाम :–

क्र0 सं0	निरीक्षण किये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों का नाम	निरीक्षण की तिथि व समय	निरीक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या			निरीक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें पोषाहार वितरित किया गया		
			06 माह से 03 वर्ष	गर्भवती /धात्री	सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाएं	06 माह से 03 वर्ष	गर्भवती /धात्री	सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

<u>पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक